...19	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उप०। श्रीमान SDO साहब चुनाव कार्य में व्यस्त। मिसल वास्ते तलबी, कायम मुकाम व जवाब हेतु दिनांक 08.01.19 को पेश हो।
08.01.19	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उप०। समय चाहा। मिसल वास्ते तलबी व कायम मुकाम हेतु दिनांक 19-02-19 को पेश हो। तलबी, कायममुकाम व जवाब हेतु
19-02-19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं० 5 से 8 की ओर से जवाब प्रा०पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जानी है शामिल मिसल रहे। अभि० संघ द्वारा कार्य स्थगित। मिसल वास्ते तलबी व जवाब प्रा०पत्र कायम मुकाम दिनांक 25-02-19 को पेश हो।
25-02-19	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उप०। श्रीमान SDO साहब राजकार्य से मुख्यालय से बाहर। मिसल वास्ते तलबी व जवाब प्रा०पत्र कायम मुकाम दिनांक 27-02-19 को पेश हो।
27-02-19	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उप०। श्रीमान SDO साहब राजकार्य में व्यस्त। मिसल वास्ते तलबी व जवाब प्रा०पत्र कायम मुकाम दिनांक 01-03-19 को पेश हो।
01-03-19	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उप०। वकील अप्रार्थी सं० 5 से 8 की ओर से अन्तिम बहस का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रकरण में अभी तलबी नहीं हुई है तथा अप्रार्थी सं० 3 के जायज वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए बहस सुनी जाने का कोई औचित्य नहीं है। वकील अप्रार्थी सं० 5 से 8 ने निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 18.07-2018 को जारी स्थगन आदेश में सहवन से त्रुटि होकर प्रार्थीगण के वादगत कृषिभूमि में मौजूद 11/108 हिस्से की बजाय स्व० धड़हीराम के सम्पूर्ण 11/36 हिस्सा पर स्थगन आदेश जारी हो गया है जिससे वादगत कृषि भूमि के सह-खातेदार अप्रार्थीगण के हक हिस्सा पर एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है। उक्त स्थगन आदेश जारी होने के बाद आदिनांक

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तक प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया जिससे उक्त स्थगन जारी रहना उचित हो। वैसे भी उक्त स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक ही जारी किया गया था। अत: उक्त स्थगन आदेश दिनांक 18.07.18 का पुनरावलोकन किया जाकर निरस्त फरमाया जावे। जिस पर पत्रावली में जारी स्थगन आदेश एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का पुनरावलोकन किया गया। उक्त स्थगन आदेश 11/36 हिस्सा तक का जारी किया गया है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम रतननगर के ख०नं० 253 तादादी 14.6698 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का हिस्सा 11/108 हिस्सा ही दर्ज है। वादगत कृषि भूमि में 11/36 हिस्सा स्व० बड़लीराम का रहा है जिसमें स्व० बड़लीराम के समस्त छः जायज वारिसान पुत्र-पुत्रियों का प्रत्येक का 11/216 हिस्सा के अनुसार प्रार्थीगण का 11/108 हिस्सा ही खातेदारी का है। ऐसी स्थिति में दिनांक 18.07.18 को जारी स्थगन आदेश में उक्त त्रुटि सहवन से हुई प्रतीत होती है। साथ ही काफी समय व्यतीत होने के बाद ऐसा कोई तथ्य भी पत्रावली पर नहीं आया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो जिससे वादगत कृषि भूमि की मौका स्थिति में परिवर्तन होता हो अथवा वादगत कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचना परिलक्षित होता हो। ऐसी स्थिति में जबकि वादीगण का दावा खाता विभाजन का है जिसके निर्णय से ही उनको अपना हक हिस्सा प्राप्त होना है, सहखातेदारों के हक हिस्सा एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ने की सम्भावना प्रतीत होती है तो उक्त स्थगन आदेश को जारी रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: पत्रावली में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.07.2018 को निरस्त किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल वास्ते तलबी व जवाब प्रा०पत्र कायम मुकाम दिनांक 04-04-19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी